भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 781

दिनांक 29 नवम्बर, 2024 को उत्तर के लिए

आंगनवाड़ी केन्द्रों में दिए जाने वाला पोषक भोजन

781. **श्री पी. वी. मिधुन रेड्डीः**

क्या **महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश भर में आंगनवाड़ी केन्द्रों में उपलब्ध कराए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता के संबंध में कोई आकलन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है कि आंगनवाड़ी केन्द्रों में, विशेषकर ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों में, नियमित रूप से पोषक और सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराया जाए;

(घ) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान आंगनबाड़ी केन्द्रों में घटिया भोजन परोसे जाने का कोई मामला सामने आया है;

(ङ) यदि हां, तो इसके लिए जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री

(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (ड़): मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 [जिसे पहले एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) योजना के रूप में जाना जाता था] 1975 में शुरू किया गया था। अब इसे मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (इसके बाद मिशन पोषण 2.0 के रूप में संदर्भित) के रूप में

नया रूप दिया गया है। यह एक एकीकृत पोषण सहायता कार्यक्रम तथा एक केन्द्र प्रायोजित योजना है। इस योजना का कार्यान्वयन राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के दायरे में आता है। इस स्कीम का उद्देश्य उचित पोषण सामग्री और इसके प्रभावी वितरण के माध्यम से बाल कुपोषण एवं मातृ अल्पपोषण की चुनौती का समाधान करना है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य, कल्याण और प्रतिरक्षा का पोषण करने वाली पद्धतियों को विकसित करने हेतु एक अभिसरण इको-सिस्टम बनाना है।

यह मंत्रालय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, बैठकों और ऑनलाइन पोषण ट्रैकर सिस्टम के जरिये राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ निरंतर जुड़ाव के माध्यम से मिशन 2.0 के कार्यान्वयन की लगातार निगरानी करता है।

इस मंत्रालय ने पूरक पोषण के वितरण में पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही के लिए "पोषण ट्रैकर" के माध्यम से गुणवत्ता आश्वासन, कर्तव्य धारकों की भूमिका और जिम्मेदारियां, खरीद की प्रक्रिया, आयुष अवधारणाओं और आंकड़ा प्रबंधन एवं निगरानी को एकीकृत करने जैसे कई पहलुओं को कारगर बनाने के लिए दिनांक 13.01.2021 को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

इन दिशा-निर्देशों के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) को लाभार्थियों की पोषण स्थिति और गुणवत्ता मानकों की निगरानी के लिए जिले में नोडल प्वाइंट के रूप में नामित किया गया है। प्रत्येक माह प्रगति की समीक्षा करने के लिए डीएम/कलेक्टर की अध्यक्षता में एक जिला पोषण समिति गठित की गई है जिसमें सदस्यों के रूप में प्रमाणित पोषण विशेषज्ञ शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र खाद्य सुरक्षा अधिनियम के मानकों के संदर्भ में पूरक पोषण, टेक होम राशन (टीएचआर) और पके हुए गर्म भोजन (एचसीएम) की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हैं। राज्य/ संध राज्य क्षेत्र भारतीय खाध सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के स्वामित्व वाली/ पंजीकृत/ पैनल में शामिल /एनएबीएल द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला के माध्यम से समय-समय पर नमूना जांच करते हैं। पके हुए गर्म भोजन के बारे में यह सुनिश्चित किया जाता है कि इसे पर्याप्त साफ-सफाई एवं सुरक्षित पेयजल वाले उचित किचन शेडों में तैयार किया जाए ताकि स्वास्थ्यकर स्थितियां बनाए रखी जा सकें। खाना पकाने के लिए एलपीजी सिलेंडर और गैस स्टोव का उपयोग किया जाता है।

*****